BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

EXCUTION APPLICATION No-10/ 2025
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 1059/2024

IN THE MATTER OF

BHARTIYA KISAN UNION (PURWA) **APPLICANT**

VERSUS

GROUND WATER DIRECTORATES UP & ORS. **RESPONDENT(S)**

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Affidavit of respondent no, 2 Uttar Pradesh Ground Water Department (Prayaagraj)	1-3 B
2.	**ANNEXURE-1** Copy of Execution No. 10/2025 in Original application No. 1059/2024, Bhartiya Kisan Union VS Ground water Directorate up & Ors. Date of hearing : 31.01.2025	4-5
3.	**ANNEXURE-2** Copy of Execution No. 10/2025 in Original application No. 1059/2024, Bhartiya Kisan Union VS Ground water Directorate up & Ors. Date of hearing : 07.05.2025	6-7
4.	**ANNEXURE-3** Copy of Uttar Pradesh Ground Water (Management & Regulation) Act, 2019 Dated 11-09-2019	8-8
5.	**ANNEXURE-4** Copy of the Notification No. 1320/62 – 1 – 2019 – 10 GW – 2014, Dated 13. 11.2019	9-9
6.	**ANNEXURE-5** Copy of the Notification No. 58/76 – 3 – 2020/10 GW - 2014, Dated 21. 01.2020.	10-12
7.	**ANNEXURE- 6** Copy of Original application No. 1059/2024, Bhartiya Kisan Union VS Ground water Directorate up & Ors. Date of hearing : 13.08.2024	13-15
8.	**ANNEXURE-7** Copy of complaining letter of Bhartiya Kisan Union against ITD Cementation Ltd. to District Magistrate **Dated 11.07.2024.**	16-17
9.	**ANNEXURE-8** Copy of 1ST Notice issued to ITD Cementation Ltd. for obtaining NOC for Ganga Expressway road construction Prayagraj, **Dated 27.08.2024**	18-18
10.	**ANNEXURE- 9** Copy of 2nd Notice issued to to ITD Cementation Ltd. for obtaining NOC for Ganga Expressway road construction Prayagraj, **Dated : 12.09.2024**	19-19
11.	**ANNEXURE- 10** Copy of application applied for NOC (02) on UPGWD Portal by ITD Cementation Ltd. **Dated : 07.10.2024**	20-25

12.	**ANNEXURE-11** Copy of Rejection of application applied by ITD Cementation Ltd. , **Dated : 21.11.2024**	**26-27**
13.	**ANNEXURE-12** Copy of 3rd Notice Issued for completion of the Compliance to ITD Cementation Ltd., **Dated : 06.8. 2025**	**28-29**
14.	**ANNEXURE-13** Copy of Pepalty Order Of Rs-400000/- Issued for completion of the Compliance to ITD Cementation Ltd., **Dated : 20.8. 2025**	**30-31**
15.	**ANNEXURE-14** Photo copy of Ceiling of Borewell by DGWC Task force, prayagraj, **Dated : 28.8. 2025**	**32-33**
16.	**ANNEXURE-15** Field Report of DGWC Task force, prayagraj, **Dated : 28.8. 2025**	**34-34**
17.	**ANNEXURE-16** Copy of BANK RECIPT. Of Rs-400000/- Submitted by ITD Cementation Ltd. **Dated : 03.9. 2025**	**35-36**
18	Vakalatnama	37

Rspondent No. – 2

(District Magistrate, Ground Water Department / Chairman, District Ground Water Management Council, Prayagraj)

Trough

Place : Prayagraj
Date : 10/09/25

Gigi.C.George Advocate
Standing counsel (UOI)
Ch.No. 457 , Lawyers Block,
DHC, New Delhi
Gigicgeorge.adv42@yahoo.in
Mobile No. 9810625315

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

EXCUTION APPLICATION NO.-10/ 2025
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 1059/2024

IN THE MATTER OF

BHARTIYA KISAN UNION (PURWA) **APPLICANT**

VERSUS

GROUND WATER DIRECTORATES UP & ORS. **RESPONDENT(S)**

भारतीय किसान यूनियन(पूर्वा) बनाम भूजल निदेशालय उत्तर प्रदेश, एवं अन्य में दिनांक 07–05–2025 को पारित आदेशों के सम्बन्ध में आख्याः–

मैं मनीष कुमार वर्मा, पुत्र मोहन प्रसाद वर्मा, आयु 41 वर्ष, जिलाधिकारी, जनपद–प्रयागराज के पद पर कार्यरत हूँ, यह सत्यापित करता हूँ कि मैं इस हलफनामे का उत्तरदाता/प्रतिवादी हूँ और प्रस्तुत मामले में सभी तथ्यों से भलि–भाँति अवगत हूँ। प्रस्तुत मामले के संदर्भ में मेरे द्वारा दिए गये जवाब निम्नलिखित हैं :–

1– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की मुख्य पीठ नई दिल्ली द्वारा निष्पादन आवेदनसं0–10/2024 मूल आवेदन सं0–1059/2024 भारतीय किसान यूनियन बनाम भूजल निदेशालय उ0प्र0 एवं अन्य में दिनांक 31–01–2025 (संलग्नक–1) को आदेश पारित किये गये जिसका प्रभावी अशं निम्नवत् है :–

1- By way of this Execution Application (EA) applicant is seeking compliance with the order dated 13.08.2024 Passed in OA No 1059/2024 and order datet 17.10.2024 passed in E.A. No 36/ 2024.

2- The applicant has filed the original application complaining about the illegal extraction of groundwater from borewell in the ongoing construction of the inner Ring road Project in Prayagraj. Tribunal by order dated 13.08.2024 had disposed of the OA after taking note of section 43 of Uttar Pradesh Ground Water Management and regulation Act 2019 wherein the District Magistrate has been conferred with the power and required to act as Disrtict Ground Water Grievance Redressal Officer . OA was disposed of by ordering that District Magistrate Prayagraj was duly required to consider the grievance raised by the applicant in the complaint dated 11.07.2024 .Said order was not complied with. Therefore, the applicant has filed the EA 36/2024. The tribunal by order dated 17.10.24, had disposed of the OA by fixing the time limit of 60 days from the date of receipt of a copy of the order for deciding the complaint of the applicant by District Magistrate Prayagraj.

3- Learned counsel for the applicant reffering to the representation dated 26.10.2024. Annexure A-7 has pointed out that though orders of the tribunal dated 17.10.2024 and 13.08.2024 were filed before District Magistrate Prayagraj . Along with representation but no action has been taken till now.

4- Issue notice to respondant no. 2-District Magistrate/Chairman, District groundwater management council, District Prayagraj, UP. For filing the compliance report by way of an affidavit within six week .

5- The applicant is directed to serve respondant No. 2 and file the affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

6- List on 07.05.2025

मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 07–05–2025 **(संलग्नक–2)** को अगली सुनवाई दिनांक 12–09–2025 को नियत की गयी है। मा0 न्यायालय को दिनांक 07–05–2025 को सुनवाई उपरांत निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है। जिसका सारांश निन्नवत् हैः–.

1- Tribunal on 31.01.2025 had issued notice in this EA . The tracking report filed along with affidavit of service does not show that service is complete.

NOTARY G.S. Pathak GOVT. OF INDIA

2- *Hence, Applicant is permitted to file proper affidavit of service within two weeks.*
3- *Learned Counsel appearing for respondent no-2 seeks two weeks time to file the reply.*
4- *It has been pointed out that same issue is pending before the Tribunal in EA No. 09/2025 .*
5- *List along with EA No. 09/2025 on 12.09.2025.*

2— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण , नई दिल्ली द्वारा सुनवाई हेतु आगामी तिथि दिनांक 12—09—2025 नियत की गयी है।

3— यह कि प्रदेश में भूगर्भ जल के संसाधनों के संरक्षण ,सुरक्षा तथा प्रबन्धन , नियंत्रण और विनियमन किये जाने के दृष्टिगत उत्तर **प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम—2019** दिनांक 11—09—2019 **(संलग्नक—3)** द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 02—10—2019 से लागू है। जिसके अन्तर्गत अध्याय 08 धारा 39 के अनुसार बिना अनापत्ति पत्र / पंजीकरण कराये अवैध भूजल दोहन करने पर दण्ड का प्राविधान किया गया है।

4— यह कि प्रदेश में उ0प्र0 भूगर्भ (जल प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम 2019 के अन्तर्गत लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग—1 की अधिसूचना संख्या—1320/62—1—2019—10जीडब्लू—2014, दिनांक 13—11—2019 **(संलग्नक—4)** द्वारा प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन विनियमन प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना निर्गत की गयी ।

5— यह कि प्रदेश में उ0प्र0 भूगर्भ (जल प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम 2019 के अन्तर्गत नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग—03 की अधिसूचना संख्या—58/76—3—2020/10 जीडब्लू—2014, दिनांक 21—01—2020 **(संलग्नक—5)** द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद के गठन किये जाने की अधिसूचना निर्गत की गयी ।

6— यह कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियमन अधिनियमन—2019 में निहित सेवाओं यथा कृषि एवं घरेलू उपयोक्ताओं, वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक एवं सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्तओं के पंजीकरण, अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गमन / नवीनीकरण आदि कार्यो के पारदर्शितापूर्ण कियान्वयन हेतु विकसित वेब पोर्टल **(UPGWDONLINE.IN)**संचालन हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में जनपद स्तर पर जनपदवार नोडल अधिकारी नामित किये गये।

7— यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मुख्य पीठ, नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन सं0—1059/2024 भारतीय किसान यूनियन बनाम भूजल निदेशालय उ0प्र0 एवं अन्य में दिनांक **13—08—2024 (संलग्नक—6)** को **भारतीय किसान यूनियन के शिकायती पत्र दिनांक 11—07—2024 (संलग्नक—7) द्वारा आई0टी0डी0 सीमेंटेशन लिमिटेड, जुडापुर दांदू, प्रयागराज के विरूद्व की गयी शिकायत पर विचार करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज को कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करने के** आदेश पारित किये गये।

8— यह कि जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, प्रयागराज द्वारा को दिनांक **27—08—2024 (संलग्नक—8)** को इस आशय से नोटिस भेजी गयी थी कि गंगा एक्सप्रेसवे रोड परियोजना के निमार्ण कार्य हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन)अधिनियम—2019 के अन्तर्गत भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु कूप के अनापत्ति/पंजीकरण प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया जाए।

9— यह कि नोटिस दिनांक **27—08—2024** का संज्ञान **आई0टी0डी0 सीमेंटेशन लिमिटेड, जुडापुर दांदू, प्रयागराज** द्वारा न लिये जाने पर दिनांक **12—09—2024(संलग्नक—9)** को द्वितीय नोटिस भेजी गयी। जिसके उपरांत **आई0टी0डी0 सीमेंटेशन लिमिटेड, जुडापुर दांदू, प्रयागराज** द्वारा **07—10—2024 (संलग्नक—10)** को आनलाइंन माध्यम से पोर्टल **(UPGWDONLINE)**पर भू गर्भ जल निष्कषर्ण हेतु कूप के अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से **02 अदद** आवेदन किये गये। जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, प्रयागराज द्वारा दिनांक **21—11—2024 (संलग्नक—11)** को उक्त दोनो आवेदनों को अभिलेख पूर्ण न होने पर अस्वीकृत कर दिया गया । उक्त आवेदन निरस्त होने के उपरांत सम्बन्धित फर्म द्वारा पुनः आवेदन नहीं किया गया और न ही इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार किया गया ।

NOTARY G. S. Pathak Reg. No. 4190 Prayagraj GOVT. OF INDIA

10— यह कि मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 07—05—2025 के अनुपालन में जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद के पत्र सं0—71 दिनांक 06—08—2025 **(संलग्नक—12)** द्वारा **आई0टी0डी0 सीमेंटेशन लिमिटेड, जुडापुर दांदू, प्रयागराज** को इस आशय का नोटिस प्रेषित किया गया था कि आप की फर्म द्वारा कूप निमार्ण के दिनांक 22—01—2024 से 19—08—2024 तक लगातार भूजल का अवैध एवं अनाधिकृत रूप से दोहन किये जाने पर फर्म को अपना प्रतिउत्तर प्रेषित करते हुए फर्म का पक्ष रखने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्देशित किया गया । फर्म द्वारा दिया गया प्रतिउत्तर तर्कसंगत न होने पर

फर्म को दोषी मानते हुए जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, प्रयागराज के पत्र दिनांक 20-08-2025 **(संलग्नक-13)** द्वारा कार्य स्थल को सील/मुहरबंद करने की कार्यवाही के साथ रू0-4,00000-00 (रू0 चार लाख मात्र) अर्थ दण्ड अधिरोपित करते भूगर्भ जल निधि के लेखा शीर्षक 8235002000400 में 07 दिवस के में जमा करने के आदेश निर्गत किये गये । आदेश दिनांक 20-08-2025 के अनुपालन में सम्बन्धित फर्म **आई0टी0डी0 सीमेंटेशन लिमिटेड, जुडापुर दांदू, प्रयागराज** द्वारा दिनांक 03-09-2025 को **भारतीय स्टेट बैंक, प्रयागराज की मुख्य शाखा** में जुर्माने की धनराशि रू0-4,00000-00(रू0 चार लाख मात्र) जमा करते हुए चालान **सं0-आई0144023 (संलग्नक-14)** की प्रति जिलाधिकारी कार्यालय, प्रयागराज तथा नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, प्रयागराज को भी उपलब्ध करा दिया गया है।

11- यह कि पत्र दिनांक 20-08-2025 के परिपेक्ष्य में **आई0टी0डी0 सीमेंटेशन लिमिटेड, जुडापुर दांदू, प्रयागराज को** अवैध भूजल दोहन करने एवं बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये ही निमार्ण कार्य कराये जाने का दोषी पाये जाने पर टास्क फोर्स द्वारा दिनांक 28-08-2025 को कार्य स्थल पर मौजूद बोरवेल को सील करने की कार्यवाही की गयी, जिसकी फोटो मा0 न्यायालय के संज्ञान हेतु संलग्न है **(संलग्नक-15)** । यह भी संज्ञान में लाना है गंगा एक्सप्रेसवे निमार्ण कार्य स्थल पर कोई अस्थाई कार्यालय इत्यादि नहीं पाया गया। टास्क फोर्स द्वारा दी गयी आख्या दिनांक 28-08-2025 संलग्न शपथ-पत्र है। **(संलग्नक-16)।**

12- यह कि जनपद की ओर से मा0 राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में दायर निष्पादन आवदेन सं0-10/2025, मूल आवेदन सं0-1059/2024 भारतीय किसान यूनियन(पूर्वा) बनाम भूजल निदेशालय उत्तर प्रदेश, एवं अन्य में दिनांक 07-05-2025 द्वारा 01 माह में उक्त वाद से सम्बन्धित शपथ पत्र दाखिल किये जाने के निर्देश दिये गये थे । उक्त वाद से सम्बन्धित अनुपालन पूर्ण कराने के परिपेक्षय में शपथ-पत्र ससमय दाखिल नही हो पाया जिसके लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता क्षमाप्रार्थी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

05.09.25

विपक्षी पार्टी सं0-02 की ओर से
(जिलाधिकारी/अध्यक्ष)
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
प्रयागराज।

NOTARY
G. S. Pathak
Regd. No 4190
Prayagraj
GOVT. OF INDIA

SOLEMNLY AFFIRMED BEFORE ME
On 06.9.25 ....AM/PM
Identified ... which
be his/her ...
on verified ...

Sign T.I. Identified By
06.9.25

06.9.25
Public Notary
Prayagraj (U.P.)

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP29627996470048X

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP29627996470048X
Certificate Issued Date	:	06-Sep-2025 01:38 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14151004/ PRAYAGRAJ SADAR/ UP-AHD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14151004567205612064558X
Purchased by	:	MANISH KUMAR VERMA
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	MANISH KUMAR VERMA
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	MANISH KUMAR VERMA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

NOTARY G. S. Pathak Reg. No.-4190 Prayagraj GOVT. OF INDIA NOTARIAL

06.9.25

Please write or type below this line

NOTARY G. S. Pathak Reg. No.-4190 Prayagraj GOVT. OF INDIA

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH,NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO.1059/2024

IN THE MATTER OF

BHARATIYA KISAN UNION (PURWA) **APPLICANT**

VERSUS

GROUND WATER DIRECTORTE UP & ORS. **RESPONDENT(S)**

AFFIDAVIT

I Manish Kumar Verma son of Mohan Prasad Verma, age 41 years. Working as a District Magistrate /Chairman District Ground Water Management Council, District Prayagraj do hereby solemnly affirm and declare as under:

2. That I'm well versed with the facts and circumstances of the **ORIGINAL APPLICATION NO. 1059/2024** and competent enough to file reply affidavit dated 06/09/2025

NOTARY G. S. Pathak Reg. No. 4190 Prayagraj GOVT. OF INDIA

Deponent

Verification

Verified at Prayagraj on 9th September 2025 that the content of above affidavit is true and correct to the best of my Knowledge and belief

9.9.25

Deponent

SOLEMNLY AFFIRMED BEFORE ME
On 06.9.25 at ......AM/PM
Sri/Smt. .... Manish Kr. Verma
Identified by Mr. ....
be his/her Affidavit as True & Correct which on verified and correct

G. S. Pathak 06.9.25
Public Notary
Alld., Prayagraj (U.P.)

Sign. T.I. Identified By
06.9.25

Item No. 05

Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Execution Application No.10/2025
In
Original Application No. 1059/2024

Bharatiya Kisan Union Purwa
Through its Secretary

Applicant

Versus

Ground Water Directorates UP & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 31.01.2025

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON**
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Aditya Singh, Adv. for Applicant in E.A. No. 10/2025

ORDER

1. By way of this Execution Application (EA), applicant is seeking compliance of order dated 13.08.2024 passed in OA No. 1059/2024 and order dated 17.10.2024 passed in E.A. No. 36/2024.

2. Applicant has filed the original application complaining about illegal extraction of ground water from borewells in the ongoing construction of Greenfield Ganga Expressway Project in Prayagraj region. Tribunal by order dated 13.08.2024 had disposed of the OA after taking note of Section 43 of Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 wherein District Magistrate has been conferred with the power and required to act as District Ground Water Grievance Redressal Officer. OA was disposed of by observing that District Magistrate, Prayagraj was duly required to consider the grievance raised by the applicant in the complaint dated 11.07.2024. Said order was not complied with, therefore, applicant has filed the EA 36/2024 Tribunal by

NOTARY
G. S. Pathak
Reg. No. 4190
Prayagraj
GOVT. OF INDIA

(5)

order dated 17.10.2024 had disposed of the OA by fixing the time limit of 60 days from the date of receipt of a copy of the order for deciding the complaint of the applicant by District Magistrate Prayagraj.

3. Learned Counsel for the applicant referring to the representation dated 26.10.2024 annexure A-7 has pointed out that though orders of the Tribunal dated 17.10.2024 and 13.08.2024 were filed before District Magistrate, Prayagraj along with representation but no action has been taken till now.

4. Issue notice to respondent no.2-District Magistrate/Chairman, District Ground Water Management Council, District Prayagraj, UP for filling the compliance report by way of affidavit within six weeks.

5. The applicant is directed to serve respondent no.2 and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

6. List on 07.05.2025.

Prakash Shrivastava, CP

Dr. A. Senthil Vel, EM

January 31, 2025
Execution Application No.10/2025
In Original Application No. 1059/2024
JG..

NOTARY
G. S. Pathak
Reg. No. 4190
Prayagraj
GOVT. OF INDIA

संलग्नक-02

(06)

Item No. 19 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Execution Application No. 10/2025
In
Original Application No. 1059/2024

Bharatiya Kisan Union (PURWA) Applicant

Versus

Ground Water Directorate, Uttar Pradesh
& Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 07.05.2025

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Aditya Singh, Adv. for Applicant in E.A. No. 10/2025
Respondents: Mr. Gigi. C. George, Adv. for UPGD & DM

ORDER

1. Tribunal on 31.01.2025 had issued notice in this EA. The tracking report filed along with affidavit of service does not show that service is complete. Hence, Applicant is permitted to file proper affidavit of service within two weeks.

2. Learned Counsel appearing for respondent no.2 seeks two weeks' time to file the reply.

3. It has been pointed out that same issue is pending before the Tribunal in EA No. 09/2025.

4. List along with EA No.09/2025 on 12.09.2025.

Prakash Shrivastava, CP

NOTARY G. S. Pathak Reg. No. 4190 Prayagraj GOVT. OF INDIA

(07)

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

Dr. Afroz Ahmad, EM

May 07, 2025
Execution Application No. 10/2025
JG.

NOTARY
G. S. Pathak
Reg. No.-4190
Prayagraj
GOVT. OF INDIA

h

8

क्रम-संख्या—186 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस0एस0पी0/एल—
डब्लू/एन0पी0/91/2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 11 सितम्बर, 2019

भाद्रपद 20, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग—1

संख्या 1036/62-1—2019-10जी0डब्ल्यू-2014

लखनऊ, 11 सितम्बर, 2019

अधिसूचना

प0आ0—261

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल 2 अक्टूबर, 2019 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं, जिस दिनांक को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

आज्ञा से,

अनीता सिंह,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1036/LXII-1–2019-10GW/2014, dated Lucknow September 11, 2019.

No. 1036/LXII-1–2019-10GW/2014

Dated Lucknow, September 11, 2019

IN exercise of the powers under sub-section (3) of section 1 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 (U.P. Act no. 13 of 2019) the Governor is pleased to appoint 2nd October, 2019 as the date on which said Act shall come into force.

By order,

ANITA SINGH,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 270 राजपत्र—2019—(771)—599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 2 सा0 लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल—2019—(772)—1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

270_RPH_2019

सोलह्नक-04
(9)

क्रम-संख्या–216(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ... अ... रू

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 13 नवम्बर, 2019

कार्तिक 22, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग–1

संख्या 1320 / 62-1–2019-10 जीडब्लू-2014

लखनऊ, 13 नवम्बर, 2019

अधिसूचना

प०आ०–344

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से राज्य में एक प्राधिकरण का गठन करती हैं जिसे 'उत्तर प्रदेश राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन विनियामक प्राधिकरण' के रूप में जाना जायेगा।

आज्ञा से

अनीता सिंह

प्रमुख सचिव

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1320/LXII-1–2019-10gw-2014, dated November 13, 2019 :

No. 1320/LXII-1–2019-10gw-2014

Dated Lcknow, November 13, 2019

In exercise of the powers under section 7 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and regulation) Act, 2019 (U.P. Act no. 13 of 2019), the Governor is pleased to establish an authority in the State to be known as the 'Uttar Pradesh State Ground Water Management and Regulatory Authority' with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

By order,

ANITA SINGH,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 379 राजपत्र–(हिन्दी)–2019–(998)–599 प्रतियां–(क०/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 3 सा० लघु सिंचाई–2019–(999)–1,000 प्रतियां–(क०/टी०/ऑफसेट)।

G79(K)I1 Sinchai Anubhag-1, 2019 Data 4e

NOTARY
G.S. Pathak
Reg. No.-4190
Prayagraj
GOVT. OF INDIA

संलग्नक-05
(10)

क्रम संख्या – 19

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०-
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 21 जनवरी, 2020
माघ 1, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–3
संख्या 58/76-3--2020/10जीडब्लू/2014
लखनऊ, 21 जनवरी, 2020

अधिसूचना

प०आ०–19

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियामक प्राधिकरण को उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों से समाविष्ट राज्य के प्रत्येक जिला हेतु जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् का गठन करने के लिये निदेश देती हैं।

आज्ञा से,
अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 58/76-3-2020/10gw/2014, Lucknow dated January 21, 2020 :

No. 58/76-3-2020/10gw/2014
Dated Lucknow, January 21, 2020

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 6 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 (U.P. Act no. 13 of 2019), the Governor is pleased to direct the State Ground Water Management and Regulatory Authority to constitute the District Ground Water Management Council for each district of the State consisting of the Chairperson and members in accordance with the provisions of the said section.

By order,
ANURAG SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–575–राजपत्र (हि०)–(1399)–2020–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–4 सा० भूगर्भ जल–(1400)–1000 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

NOTARY
G. S. Pathak
Reg. No. 4190
Prayagraj
GOVT. OF INDIA

Namami Gange An-3 Data-7

(11)

राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियामक प्राधिकरण,

(अधिसूचना संख्या 1320/62-1-2019-10 जी0डब्लू0/2014, दिनांक 13 नवम्बर, 2019 के द्वारा गठित)

संख्या /यूपीराभूजप्रविप्रा
लखनऊ: दिनांक : 05 जून, 2020

-: कार्यालय ज्ञाप :-

अधिसूचना संख्या 58/76-3-2020/10जीडब्लू/2014, दिनांक 21 जनवरी, 2020 के द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 06 में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में एतद्द्वारा "जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्" का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1.	जिला मजिस्ट्रेट।	अध्यक्ष
2.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट राज्य में भूगर्भ जल प्रबन्धन के क्षेत्र में दीर्घकालिक कार्य करने का अनुभव रखने वाले एक विषय विशेषज्ञ।	सदस्य
3.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट भूगर्भ जल के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले सार्वजनिक/गैर सरकारी संगठन/सामाजिक क्षेत्र का एक व्यक्ति।	सदस्य
4.	सहायक अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।	सदस्य
5.	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड।	सदस्य
6.	जिला कृषि अधिकारी।	सदस्य
7.	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग।	सदस्य
8.	अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम।	सदस्य
9.	नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत (यथास्थिति)।	सदस्य
10.	मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण।	सदस्य
11.	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एवम् जल संसाधन विभाग।	सदस्य
12.	उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र।	सदस्य
13.	प्रभागीय वनाधिकारी।	सदस्य
14.	जिला उद्यान अधिकारी।	सदस्य,
15.	जिला विकास अधिकारी।	सदस्य/सचिव

उक्त सदस्यों के अतिरिक्त नगर पालिका, भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति तथा खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति से एक-एक सदस्य परिषद् के आमंत्रित सदस्य के रूप में भी सम्मिलित किए जाएंगे। "जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्" के क्रम संख्या 02, एवम् 03 पर नामित सदस्यों की सेवा एवम् शर्तें, इत्यादि उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) नियमावली, 2020 के अध्याय- 2 के अनुसार होगी।

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव/अध्यक्ष

NOTARY
G. S. Pathak
Reg. No. 4190
Prayagraj
GOVT. OF INDIA

पत्रांक: 01 /यूपीराभूजप्रविप्रा/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (सदस्य प्राधिकरण)।
2. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (सदस्य प्राधिकरण)।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, 9वाँ तल इन्दिरा भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(वी0के0 उपाध्याय)
निदेशक, भूगर्भ जल विभाग/सदस्य सचिव

पत्रांक: /यूपीराभूजप्रविप्रा/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ प्रत्येक जनपद के सक्षम अधिकारी को जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् के सदस्य के रूप में पदेन नामित करें।

1. प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
4. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(वी0के0 उपाध्याय)
निदेशक, भूगर्भ जल विभाग/सदस्य सचिव

NOTARY
G. S. Pathak
Reg. No.-4190
Prayagraj
GOVT. OF INDIA

संलग्नक-06
(13)

Item No. 02 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1059/2024

Bharatiya Kisan Union (Purwa)
through its Secretary Applicant

Versus

Ground Water Directorate,
Uttar Pradesh & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 13.08.2024

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Aditya Singh, Adv.

ORDER

1. In this original application, the allegation of the applicant relates to the extraction of groundwater from bore wells in the ongoing construction of Ganga Expressway project in the Prayagraj and the submission of counsel for the applicant is that the bore water is being extracted by the Project Proponent without obtaining a no objection certificate from the District Groundwater Management Council Prayagraj and in violation of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019. Learned counsel for the applicant during the arguments has referred to section 11 and 14 of the act and has submitted that the requisite permission from the competent authority has not been obtained. The plea of the applicant is that Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA) has divided the project into four groups for the 593.947 km access-controlled six-lane (expandable to eight lanes) Meerut to Prayagraj Greenfield Ganga Expressway Project.

NOTARY
G. S. Pathak
Reg. No. 4190
Prayagraj
GOVT. OF INDIA

2. The grievance in the present OA relates to Group 4 package from km 445+000 (Village Sarson, District Unnao) to km 601+847 (Village Jadupur Dando, District Prayagraj) which is being undertaken by the respondent project proponent.

3. During the course of argument, learned counsel for the applicant has referred to the complaint dated 11.07.2024 made to the District Magistrate, Prayagraj against illegal extraction of groundwater by the project proponent and has submitted that no action on that complaint has been taken.

4. Section 43 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 provides for a grievance redressal mechanism and the District Magistrate of the concerned district is the District Ground Water Grievance Redressal Officer, who is required to consider the grievance raised by any person relating to management, conservation, abstraction and pollution of ground water. Against the decision of the District Ground Water Grievance Redressal Officer, there is also a remedy to submit grievance to State Ground Water Management and Regulation Authority.

5. Section 43 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 reads as under:-

> *"43. (1) The District Magistrate of each district of Uttar Pradesh shall act as District Ground Water Grievance Redressal Officer.*
>
> *(2) Any person may submit his or her grievance on issues related to management, conservation, abstraction and pollution of ground water to the District Ground Water Grievance Redressal Officer.*
>
> *(3) Any person aggrieved by the decision of the District Ground Water Grievance Redressal Officer may submit his or her grievance to State Ground Water Management and Regulation Authority."*

NOTARY
G. S. Pathak
Reg. No.-4190
Prayagraj
GOVT. OF INDIA

(15)

6. Once the Section 43 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 cast a duty upon the District Magistrate to redress the grievance, the District Magistrate, Prayagraj is duly required to consider the grievance raised by the applicant in the complaint dated 11.07.2024, ascertain the correct position and take appropriate action in accordance with law expeditiously.

7. OA is accordingly disposed of.

Prakash Shrivastava, CP

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

August 13, 2024
Original Application No. 1059/2024
AS.

NOTARY
G. S. Pathak
Reg. No.-1190
Prayagraj
GOVT. OF INDIA

संलग्नक-07

58

भारतीय किसान यूनियन (पूर्वा)

16

एम.एस. सिंह
राष्ट्रीय महासचिव

पता – बी –203, बद्री आवास योजना
तेलियरगंज, प्रयागराज, उ.प्र.–211004
मोबाइल नं.: 9415677217
ई-मेल: rmsachiv.bkupurwa@gmail.com

पत्रांक MRAWRI/BKW/03

दिनांक 11/07/2024

CDO

(नवनीत सिंह चहल)
जिलाधिकारी, प्रयागराज
11.07.2024

13148
दिनांक 16/07/24

सेवा मे,
अधिशासी अभियंता
भूगर्भ जल विभाग
6/3 सी बेली रोड
प्रयागराज

विषय-जनपद प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे बनाने के लिए चल रहे निर्माण कार्य में कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य के लिए किये जा रहे भूगर्भ जल दोहन पर आवेलंब कार्यवाही कर रोक लगाने हेतु।

महोदय,

गंगा एक्सप्रेसवे के प्रयागराज जनपद मे चल रहे निर्माण कार्य के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के द्वारा अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया है। इस कार्य के अंतर्गत अदानी इंटरप्राइजेज की सहयोगी संस्था आईटीडी सीमेंटेशन लिमिटेड द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त निर्माण कार्य के लिए अत्यधिक मात्रा में भूगर्भ जल का दोहन किया जा रहा है, जिससे स्थानीय जलस्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हैं। इस प्रकार किये जा रहे भूगर्भ जल दोहन के सन्दर्भ में भूगर्भ जल विभाग, जनपद प्रयागराज के कार्यालय से सम्पर्क करने पर विभागीय व्यक्तियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य हेतु उनके द्वारा भूगर्भ जल निकासी की कोई अनुमति उपरोक्त संस्था को प्रदान नहीं की गई है उक्त निर्माण कार्य के लिए । इस भूजल दोहन के साक्ष्य के रूप में चल रहे कार्य की कुछ भू-स्थैतिक तस्वीरें आपके संदर्भ के लिए संलग्न की जा रही हैं –

Ex-En. भूगर्भ जल

मुख्य विकास अधिकारी
16.7.2024

NOTARY
G. S. Pathak
Reg. No.-4190
Prayagraj
GOVT OF INDIA

स्थलीय सत्यापन कर कार्यवाही करें।

16/7/24

(17)

इसके साथ ही आपको यह अवगत कराना है कि प्रयागराज जनपद में बिना भूगर्भ जल विभाग की अनुमति के अवैध रूप से व्यवसायिक विकास कार्य हेतु अनेक परियोजनाओं तथा निर्माण कार्य में भूगर्भ जल का दोहन किया जा रहा है, जिस कारण प्रयागराज के आसपास के कृषि कार्य के पंपों में आवश्यक जल की मात्रा उपलब्ध नहीं हो पा रही है तथा किसानों को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

इस संदर्भ में आपका विभाग जिले में चल रही किसी भी परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण तथा अवैध भूगर्भ जल निकासी पर समुचित कार्यवाही नहीं कर रहा है जिसके कारण भूगर्भ जल दोहन अनाधिकृत रूप से वृहद पैमाने पर प्रयागराज जनपद में हो रहा है, जिस पर प्रयागराज जनपद में स्थित भूगर्भ जल विभाग कुशल अकर्मण्यता की नीति अपना कर इस भूजल दोहन पर अपनी आंख बंद किए हुए हैं। इस प्रकार भूगर्भ जल के रूप में मिले प्रकृति के इस बहुमूल्य उपहार जिसके संरक्षण की जिम्मेदारी आपके विभाग की है, प्रयागराज जनपद में मुकदर्शक बनकर इसका दोहन करा रहा है ।

अतः माननीय आपसे प्रार्थना है कि प्रयागराज जनपद में अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इस अनधिकृत रूप से किए जा रहे भूगर्भ जल दोहन की स्थलीय जांच कर उसे रोकने साथ ही दोषी व्यक्तियों पर उचित विधि सम्मत कार्यवाही करने का आदेश देने की कृपा करें, साथ ही जनपद प्रयागराज के जलस्रोतों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

भवदीय

एस.एस. सिंह

राष्ट्रीय महासचिव

प्रतिलिपि-1- निदेशक,भूगर्भ जल विभाग ,लखनऊ

2 -जिला अधिकारी, प्रयागराज

NOTARY
G. S. Pathak
Reg. No.-4190
Prayagraj
GOVT. OF INDIA

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद जनपद–प्रयागराज़।

संलग्नक – 08

(18)

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
भूगर्भ जल विभाग,
6/3सी, बेली रोड,
प्रयागराज़।

पत्रांक– 309 /भू0ज0वि0ख0यॉ0/जी0डब्लू0एक्ट–2019/प्रयागराज)/दिनांक: 27/08/ 2024

विषय– अवैध भूजल दोहन के सम्बन्ध में।

1–मेसर्स आई0टी0डी0 सीमेंटेशन लिमिटेड, जुडापुर दॉदू, विकास खण्ड–सोरॉव, प्रयागराज। 212412

2–मेसर्स आई0टी0डी0 सीमेंटेशन लिमिटेड, नवॉ तल प्राईमा बे टावर–बी गेट न0–05, साकी बिहार रोड, पवई, मुम्बई महाराष्ट्र पिन–400072।

–नोटिस –

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबन्धन एवं विनियमन अधिनियम–2019 प्रभावी है जिसके तहत अधिसूचित/गैर अधिसूचित क्षेत्र मे वाणिज्यिक अवसंरचनात्मक, औद्योगिक, मैरिज हाल/लॉन, आर0 ओ0 प्लांट और सामूहिक उपयोक्ता (अस्पताल, अपार्टमेंट) भूजल उपयोक्ताओं द्वारा भूजल दोहन की अनापत्ति / पंजीकरण पोर्टल (www.upgwdonline.in) पर प्राप्त किये बिना ही अनाधिकृत रूप से भूजल का व्यवसायिक दोहन किया जा रहा है, ऐसे समस्त भूजल उपयोक्ताओं के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन एवं नियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अवैध रूप से भूजल दोहन करने वाले उपयोक्ताओं पर अधिनियम के प्राविद्यानुसार **धारा–11(1)(क) एवं धारा 27, 28 एवं 29** के अन्तर्गत सम्यक प्राविधानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये है जिसके द्वारा भूगर्भ जल को दूषित करने तथा अनाधिकृत रूप से व्यवसाय हेतु भूजल दोहन करने का दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था को **अध्याय 08, धारा–39** के अधीन दंडित किये जाने के भागी होंगे, जो 02 से 05 लाख का जुर्माना अथवा 06 माह से 01 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दण्ड हो सकता है।

अत्एव आपके द्वारा जुडापुर, दॉदू, विकासखण्ड–सोरॉव, प्रयागराज में कराये जा रहे निमार्ण कार्य का स्थलीय सत्यापन दिनांक 22–08–2024 को किये जाने पर 01 बोरवेल बिना अनापत्ति प्राप्त किये ही भूजल दोहन कर, निमार्ण कार्य कराया जा रहा है। **रथल सत्यापन के समय श्री** विवेक कुमार, प्रबन्धक (मो0–9793479321) कार्यस्थल पर मौजूद थे जिन्होंने श्री सतीश त्रिपाठी, **एडमिन हेड** (मो0 9250405910) से दूरभाष पर सम्पर्क स्थापित कराया। श्री त्रिपाठी द्वारा 02–03 दिवस में आपचारिकताएं पूर्ण करने एवं अन्य जानकारी हेतु नोडल अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क करने हेतु आश्वासन दिया गया । **उक्त सम्बन्धितों द्वारा आज दिनांक तक** भूगर्भ जल विभाग से कोई सम्पर्क/समन्वय स्थापित नहीं किया गया। यदि आपने भूजल निष्कर्ण हेतु पूर्व में सी0जी0डब्लू0ए0 से पंजीकरण अथवा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है, की सूचना साक्ष्यों सहित 07 दिवस में कार्यालय में प्रेषित करें। यदि आपके द्वारा पंजीकरण/अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही **अवैद्य रूप** से भूजल निष्कषर्ण कर निमार्ण कार्य कराया जाता है तो ऐसा स्थिति में आपके विरुद्ध उ0प्र0 भूगर्भ जल **प्रबन्धन** एवं विनियमन अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(रवि शंकर पटेल)
हाइड्रोलाजिस्ट/
नोडल अधिकारी

पत्रांक– 309 /भू0ज0वि0ख0यॉ0/जी0डब्लू0एक्ट–2019/प्रयागराज)/तादिनांक।

प्रतिलिपि–

1– जिलाधिकारी/ अध्यक्ष महोदय, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, जनपद–प्रयागराज़ को अवलोकनार्थ प्रेषित ।

2– मुख्य विकास अधिकारी/ सदस्य सचिव, महोदय, जनपद–प्रयागराज को अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(रवि शंकर पटेल)
हाइड्रोलाजिस्ट/
नोडल अधिकारी

NOTARY
G. S. Pathak
Reg. No. 4190
Prayagraj
GOVT. OF INDIA

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद जनपद–प्रयागराज।

संलग्नक–09 (19)

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
भूगर्भ जल विभाग,
6/3सी, बेली रोड,
प्रयागराज।

पत्रांक– 341 /भू0जल0वि0ख0यॉ0/जी0डब्लू0एक्ट–2019/प्रयागराज)/दिनांकः 12/09/2024

विषय– अवैध भूजल दोहन के सम्बन्ध में।

1–मेसर्स आई0टी0डी0 सीमेंटेशन लिमिटेड, जुडापुर दॉदू, विकास खण्ड–सोरॉव, प्रयागराज।
2–मेसर्स आई0टी0डी0 सीमेंटेशन लिमिटेड, नवॉ तल प्राईमा बे टावर–बी गेट न0–05, साकी बिहार रोड, पवई, मुम्बई महाराष्ट्र पिन–400072।

–नोटिस –

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबन्धन एवं विनियमन अधिनियम–2019 प्रभावी है जिसके तहत अधिसूचित/गैर अधिसूचित क्षेत्र मे वाणिज्यिक अवसंरचनात्मक, औद्योगिक, मैरिज हाल/लॉन, आर0 ओ0 प्लांट और सामूहिक उपयोक्ता (अस्पताल, अपार्टमेंट) भूजल उपयोक्ताओं द्वारा भूजल दोहन की अनापत्ति / पंजीकरण पोर्टल (www.upgwdonline.in) पर प्राप्त किये बिना ही अनाधिकृत रूप से भूजल का व्यवसायिक दोहन किया जा रहा है, ऐसे समस्त भूजल उपयोक्ताओं के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन एवं नियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अवैध रूप से भूजल दोहन करने वाले उपयोक्ताओं पर अधिनियम के प्राविद्यानुसार **धारा–11(1)(क) एवं धारा 27, 28 एवं 29** के अन्तर्गत सम्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये है जिसके द्वारा भूगर्भ जल को दूषित करने तथा अनाधिकृत रूप से व्यवसाय हेतु भूजल दोहन करने का दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था को **अध्याय 08, धारा–39** के अधीन दण्डित किये जाने के भागी होंगे, जो 02 से 05 लाख का जुर्माना अथवा 06 माह से 01 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दण्ड हो सकता है।

अत्एव आपकी फर्म आई0टी0डी0 सीमेंटेशन लिमिटेड, जुडापुर दॉदू, विकास खण्ड–सोरॉव, प्रयागराज में कराये जा रहे निमार्ण कार्य का स्थलीय सत्यापन दिनांक 22–08–2024 को किया गया था जिसके क्रम में इस कार्यालय द्वारा नोटिस दिनांक 27–08–2024 को प्रेषित किया गया था। जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के अनुपालन में दिनांक 12–09–2024 को टास्कफोर्स द्वारा पुनः स्थलीय सत्यापन किया गया। कार्यस्थल पर मौजूद कार्मिक ने एन0ओ0सी0/पंजीकरण के सम्बन्ध में जानकारी देने में अनभिज्ञता प्रकट की। कार्यस्थल पर 02 अदद कूप से बिना एन0ओ0सी0/पंजीकरण कराये भूजल का दोहन किया जा रहा है। दूरभाष पर श्री सतीश त्रिपाठी ने एन0ओ0सी0/पंजीकरण के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी हेतु निवेश मित्र पोर्टल के सम्बन्ध में जानकारी ली । भूजल निष्कर्ण हेतु यदि पूर्व में पंजीकरण अथवा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है, की सूचना साक्ष्यों सहित 07 दिवस में कार्यालय अथवा gwdallahabad@gmail.com पर प्रेषित करें साथ ही बोरवेल को तत्काल प्रभाव से बन्द करते हुए इसकी प्रमाणिकता भी उपलब्ध करायें। अन्यथा इसे जल का अवैध निकर्षण मानते हुए उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रवन्धन एवं विनियमन) अधिनियम–2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार जुर्माना/दण्ड की कार्यवाही की जायेगी। यह भी अवगत करायें कि परियोजना में अभी तक आपकी फर्म द्वारा किन संसाधनों से जल का प्रयोग किया गया है।

नोडल अधिकारी, भूगर्भ जल विभाग/
सदस्य, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
जनपद–प्रयागराज।

पत्रांक–341/भू0ज0वि0ख0यॉ0/जी0डब्लू0एक्ट–2019/प्रयागराज)/तादिनांक।

प्रतिलिपिः–1–जिलाधिकारी/ अध्यक्ष महोदय, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, जनपद–प्रयागराज को अवलोकनार्थ प्रेषित ।

2– मुख्य विकास अधिकारी/ सदस्य सचिव, महोदय, जनपद–प्रयागराज को अवलोकनार्थ प्रेषित ।

3– डी0जी0एम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 18सी/28ए, सरोजनी नायडू मार्ग निकट,ए0जी0 ऑफिस, सिविल लाइंस, प्रयागराज को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

NOTARY
G. S. Pathak
Reg. No.-4190
Prayagraj
GOVT. OF INDIA

नोडल अधिकारी, भूगर्भ जल विभाग/
सदस्य, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
जनपद–प्रयागराज।

Ground Water Department

(Namami Gange & Rural Water Supply Department)
Ministry of Jal Shakti
Government of Uttar Pradesh

संलग्नक — 10 — (20)

Form 8 (A)/फॉर्म 8 (ए)

APPLICATION FOR OBTAINING GRANT OF AUTHORIZATION/NO OBJECTION CERTIFICATE FOR SINKING OF PROPOSED WELL IN NON-NOTIFIED AREA
प्रस्तावित कूप की बोरिंग हेतु प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन

(Any Commercial or Industrial or Infrastructural or Bulk user)
(वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक अथवा अवसंरचनात्मक अथवा सामूहिक उपयोक्ता)

[Under Section 14 of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Bill, 2019]
[धारा 14, उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन तथा विनियमन बिल, 2019 के अधीन]

Applicant's Details
आवेदक का विवरण

Type of Applicant आवेदक का प्रकार	Behalf of Firm/Company	Application Number आवेदन संख्या	PGRJ1024NIF0020
Name of the Owner स्वामी का नाम	VIJAY CHUDAMAN INGALE		
Mobile No. मोबाइल नंबर	9820454580	Email ID. ईमेल आईडी	gangaexpressway534@gmail.com
Date of Birth जन्मतिथि	11/03/1968	Gender लिंग	Male
Nationality राष्ट्रीयता	Indian	ID as Address Proof निवास प्रमाण हेतु आईडी	Aadhaar Card
Aadhaar Card Number	6804-5957-5470	Uploaded Aadhaar Card अपलोड किया गया आधार कार्ड	
House No./Flat No./Building No. मकान सं0/फ्लैट सं0/भवन सं0	Village Judapur Dandu, Block Holagarh, Prayagraj, UP-212412	Locality/Village मुहल्ला/गाँव	
City/Town/Post Office नगर/कस्बा/पोस्ट ऑफिस	PRAYAGRAJ	State राज्य	Uttar Pradesh
District जनपद	PRAYAGRAJ	Pin Code पिन कोड	212412
Designation पद	Sr. DGM	Company Name कंपनी का नाम	ITD Cementation India Limited
Company Address कंपनी का पता	Vill. Judapur Dandu, Holagarh, Prayagraj, UP	Authorization Letter प्राधिकार पत्र	

Details of Existing Well
विद्यमान कूप का विवरण

District जनपद	Prayagraj	Block ब्लॉक	HOLAGARH
Plot No./Khasra No. प्लॉट संख्या/खसरा संख्या		Municipality/Municipal Corporation नगर पालिक/नगर निगम	No
Ward No./Holding No. वॉर्ड संख्या/होल्डिंग संख्या	N/A	Land Details भूमि का विवरण	

NOTARY
G. S. Pathak
Reg. No.-4190
Prayagraj
GOVT. OF INDIA

(21)

...s of The Existing Well
...प का ब्यौरा

...of Construction/Sinking of ...ell कूप की निर्माण तिथि	22/01/2024	Type of Well कूप का प्रकार	Tube Well/Boring
Discharge of Tube Well (cum./hr) ट्यूबवेल का निर्वहन (cum./hr)			
Housing Pipe If Any यदि कोई है		No	

Strainer Details
स्ट्रेनर का विवरण

Material of Strainer स्ट्रेनर की सामग्री	PVC	Number of Strainer(s) स्ट्रेनर की संख्या	4

S.No. क्रम संख्या	Strainer Installed at what Depth from Ground Level (in Meter) स्ट्रेनर, भू-स्तर से कितनी गहराई पर स्थापित है (मीटर में)	Strainer Installed upto what Depth from Ground Level (in Meter) स्ट्रेनर, भू-स्तर से कितनी गहराई तक स्थापित है (मीटर में)	Length (In meter) लंबाई (मीटर में)	Diameter (In millimeter) व्यास (मिलीमीटर में)
1	18.00	21.00	3.00	102.00
2	21.00	24.00	3.00	102.00
3	24.00	27.00	3.00	102.00
4	27.00	30.00	3.00	102.00

Approx. Depth of Well (In meter) कूप की अनुमानित गहराई (मीटर में)	30.00	Whether There has been Any Adverse Report Regarding Water Quality of the Well? क्या कूप के जल की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट है?	No
Ground Water Level (In meter) भूजल स्तर (मीटर में)			

Details of Existing Pumping Device विद्यमान पंपिंग उपकरण का विवरण

Type of Pump to be Used प्रयोग किये जाने वाले पंप का प्रकार	Submersible	Pump Capacity (In m3/hr) पंप क्षमता (m3/hr)	2.00
Horse Power (H.P.) हॉर्स पावर (एच.पी.)	1.00	Length of Suction Pipe (In meter) सक्शन पाइप की लंबाई (मीटर में)	10.00
Operational Device परिचालन उपकरण	Electric Motor	Date of Energization विद्युतीकरण तिथि	22/01/2024

Details of Utilization of Well
कूप के उपयोग का विवरण

Purpose of the Existing Well विद्यमान कूप का उद्देश्य?	Infrastructural	Annual Running Hours वार्षिक उपयोग (घंटे में)	3650.00
Annual Running Days वार्षिक उपयोग (दिन में)	365		
Recharge Required रिचार्ज आवश्यक है	7300.00	Total Ground water Extraction कुल भूजल निकासी	7300.00

NOTARY
G.S. Pathak
Reg. No. 4190
Prayagraj
GOVT. OF INDIA

(22)

...nning Hours ...ग (घंटे में)	10.00	Whether the Water Supplied in Well Area Through Pipe Water Supply or Not? क्या क्षेत्र में जल की आपूर्ति पाइप जलापूर्ति के माध्यम से होती है?	No
Upload NOC अनापत्ति प्रमाणपत्र अपलोड करें		Length of Section Pipe (in Meter) सक्शन पाइप की लंबाई (मीटर में)	10.00
Whether Rain Water Harvesting Structure has been Constructed within the Premises? क्या परिसर में वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है?	No	Any Other Information Which You Would Like to Furnish कोई अन्य जानकारी जो आप प्रदान करना चाहते हैं	N/A

Affidavit on non judicial stamp paper of Rs, 10 for installation of appropriate rain water harvesting structure/ measure within a period of one year from Issuing of NOC Date एन.ओ.सी तिथि जारी करने से एक वर्ष की अवधि के भीतर उचित वर्षा जल संचयन संरचना / माप की स्थापना के लिए रु 10- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर	
NOC Issued By: अनापत्ति प्रमाण पत्र (द्वारा निर्गत)	
Central Ground Water Authority / Ground Water Department Uttar Pradesh केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण / भूगर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश सरकार	No
Does industry come under MSME ? क्या उद्योग MSME के अंतर्गत आता है ?	No
Application Date आवेदन तिथि	07/10/2024

Declaration by the Applicant
आवेदक द्वारा उद्घोषणा

I do hereby declare that the particulars furnished here in above are correct and true . I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application/registration is liable to be rejected/cancelled ..

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि ऊपर दिये गए विवरण सही व सत्य हैं | मैं जानता हूँ कि यदि जांच पड़ताल के दौरान किसी भी स्तर पर उपरोक्त विवरण असत्य पाये गए तो मेरा आवेदन/ रजिस्ट्रीकरण अस्वीकृत/निरस्त किए जाने योग्य होगा"

I Agree/मैं सहमत हूं ☐

NOTARY
G. S. Pathak
Reg. No. 4190
Prayagraj
GOVT. OF INDIA

(23)

Ground Water Department

(Namami Gange & Rural Water Supply Department)
Ministry of Jal Shakti
Government of Uttar Pradesh

Form 8 (A)/फॉर्म 8 (ए)

APPLICATION FOR OBTAINING GRANT OF AUTHORIZATION/NO OBJECTION CERTIFICATE FOR SINKING OF PROPOSED WELL IN NON-NOTIFIED AREA
प्रस्तावित कूप की बोरिंग हेतु प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन

(Any Commercial or Industrial or Infrastructural or Bulk user)
(वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक अथवा अवसंरचनात्मक अथवा सामूहिक उपयोक्ता)

[Under Section 14 of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Bill, 2019]
[धारा 14, उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन तथा विनियमन बिल, 2019 के अधीन]

Applicant's Details
आवेदक का विवरण

Type of Applicant आवेदक का प्रकार	Behalf of Firm/Company	Application Number आवेदन संख्या	PGRJ1024NIF0021
Name of the Owner स्वामी का नाम	VIJAY CHUDAMAN INGALE		
Mobile No. मोबाइल नंबर	9820454580	Email ID. ईमेल आईडी	gangaexpressway534@gmail.com
Date of Birth जन्मतिथि	11/03/1968	Gender लिंग	Male
Nationality राष्ट्रीयता	Indian	ID as Address Proof निवास प्रमाण हेतु आईडी	Aadhaar Card
Aadhaar Card Number	6804-5957-5470	Uploaded Aadhaar Card अपलोड किया गया आधार कार्ड	
House No./Flat No./Building No. मकान सं0/फ्लैट सं0/भवन सं0	Village Judapur Dandu, Block Holagarh, Prayagraj, UP-212412	Locality/Village मुहल्ला/गाँव	
City/Town/Post Office नगर/कस्बा/पोस्ट ऑफिस	PRAYAGRAJ	State राज्य	Uttar Pradesh
District जनपद	PRAYAGRAJ	Pin Code पिन कोड	212412
Designation पद	Sr. DGM	Company Name कंपनी का नाम	ITD Cementation India Limited
Company Address कंपनी का पता	Vill. Judapur Dandu, Holagarh, Prayagraj, UP	Authorization Letter प्राधिकार पत्र	

Details of Existing Well
विद्यमान कूप का विवरण

District जनपद	Prayagraj	Block ब्लॉक	HOLAGARH
Plot No./Khasra No. प्लॉट संख्या/खसरा संख्या		Municipality/Municipal Corporation नगर पालिका/नगर निगम	No
Ward No./Holding No. वॉर्ड संख्या/होल्डिंग संख्या	NA	Land Details भूमि का विवरण	

NOTARY
G. S. Pathak
Reg. No.-4190
Prayagraj
GOVT OF INDIA

(25)

...ars of The Existing Well
...कूप का ब्यौरा

...of Construction/Sinking of Well कूप की निर्माण तिथि	26/01/2024	Type of Well कूप का प्रकार	Tube Well/Boring
Discharge of Tube Well (cum./hr) ट्यूबवेल का निर्वहन (cum./hr)			
Housing Pipe If Any यदि कोई है		No	

Strainer Details
स्ट्रेनर का विवरण

Material of Strainer स्ट्रेनर की सामग्री	PVC	Number of Strainer(s) स्ट्रेनर की संख्या	4

S.No. क्रम संख्या	Strainer Installed at what Depth from Ground Level (in Meter) स्ट्रेनर, भू-स्तर से कितनी गहराई पर स्थापित है (मीटर में)	Strainer Installed upto what Depth from Ground Level (in Meter) स्ट्रेनर, भू-स्तर से कितनी गहराई तक स्थापित है (मीटर में)	Length (In meter) लंबाई (मीटर में)	Diameter (In millimeter) व्यास (मिलीमीटर में)
1	18.00	21.00	3.00	102.00
2	21.00	24.00	3.00	102.00
3	24.00	27.00	3.00	102.00
4	27.00	30.00	3.00	102.00

Approx. Depth of Well (In meter) कूप की अनुमानित गहराई (मीटर में)	30.00	Whether There has been Any Adverse Report Regarding Water Quality of the Well? क्या कूप के जल की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट है?	No
Ground Water Level (In meter) भूजल स्तर (मीटर में)			

Details of Existing Pumping Device विद्यमान पंपिंग उपकरण का विवरण

Type of Pump to be Used प्रयोग किये जाने वाले पंप का प्रकार	Submersible	Pump Capacity (In m3/hr) पंप क्षमता (m3/hr)	2.00
Horse Power (H.P.) हॉर्स पावर (एच.पी.)	1.00	Length of Suction Pipe (In meter) सक्शन पाइप की लंबाई (मीटर में)	10.00
Operational Device परिचालन उपकरण	Electric Motor	Date of Energization विद्युतीकरण तिथि	24/01/2024

Details of Utilization of Well
कूप के उपयोग का विवरण

Purpose of the Existing Well विद्यमान कूप का उद्देश्य?	Infrastructural	Annual Running Hours वार्षिक उपयोग (घंटे में)	3650.00
Annual Running Days वार्षिक उपयोग (दिन में)	365		
Recharge Required रिचार्ज आवश्यक है	7300.00	Total Ground water Extraction कुल भूजल निकासी	7300.00

NOTARY
G. S. Pathak
Reg. No.-190
Prayagraj
GOVT. OF INDIA

(25)

Running Hours ...योग (घंटे में)	10.00	Whether the Water Supplied in Well Area Through Pipe Water Supply or Not? क्या क्षेत्र में जल की आपूर्ति पाइप जलापूर्ति के माध्यम से होती है?	No
Upload NOC अनापत्ति प्रमाणपत्र अपलोड करें		Length of Section Pipe (in Meter) सक्शन पाइप की लंबाई (मीटर में)	10.00
Whether Rain Water Harvesting Structure has been Constructed within the Premises? क्या परिसर में वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है?	No	Any Other Information Which You Would Like to Furnish कोई अन्य जानकारी जो आप प्रदान करना चाहते हैं	N/A

Affidavit on non judicial stamp paper of Rs, 10 for installation of appropriate rain water harvesting structure/ measure within a period of one year from Issuing of NOC Date एन.ओ.सी तिथि जारी करने से एक वर्ष की अवधि के भीतर उचित वर्षा जल संचयन संरचना / माप की स्थापना के लिए रु 10- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर	
NOC Issued By: अनापत्ति प्रमाण पत्र (द्वारा निर्गत)	
Central Ground Water Authority / Ground Water Department Uttar Pradesh केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण / भूगर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश सरकार	No
Does industry come under MSME ? क्या उद्योग MSME के अंतर्गत आता है ?	No
Application Date आवेदन तिथि	07/10/2024

Declaration by the Applicant
आवेदक द्वारा उद्घोषणा

I do hereby declare that the particulars furnished here in above are correct and true . I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application/registration is liable to be rejected/cancelled ..

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि ऊपर दिये गए विवरण सही व सत्य हैं | मैं जानता हूँ कि यदि जांच पड़ताल के दौरान किसी भी स्तर पर उपरोक्त विवरण असत्य पाये गए तो मेरा आवेदन/रजिस्ट्रीकरण अस्वीकृत/निरस्त किए जाने योग्य होगा"

I Agree/मैं सहमत हूं ☐

NOTARY
G. S. Pathak
Reg. No. 4190
Prayagraj
GOVT. OF INDIA

Ground Water Department

(Namami Gange & Rural Water Supply Department)

Ministry of Jal Shakti
Government of Uttar Pradesh

Form 8 (D)

[See Rule 15(1)]

Letter Of Rejection Of Application For Grant Of Authorization/ No Objection For Sinking Of Well

{UIS 14 of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019}

Valid as Water Extraction Fees Pending

Letter Ref No. 202410000196 **Date** 21/11/2024

To

Shri I Smt. VIJAY CHUDAMAN INGALE

Sub: Rejection of your application for grant of authorization of well.

Ref: Your Application No.: PGRJ1024NIF0021 Submitted on: 06/10/2024

Sir/Madam

This is to inform you regretfully that your Application No. PGRJ1024NIF0021 dated 06/10/2024 submitted for grant of authorization of well has been rejected because of the following reason(s):

(1) Incomplete application

(2) Non-submission of requisite documents

(3) Shortfall in payment of requisite Registration Fees

(4) Incorrect Head of A/C for deposition of Registration Fees

(5) Others:

This certificate is electronically generated and does not require digital signature

27

Logo

Ground Water Department

(Namami Gange & Rural Water Supply Department)

Ministry of Jal Shakti
Government of Uttar Pradesh

Form 8 (D)

[See Rule 15(1)]

Letter Of Rejection Of Application For Grant Of Authorization/ No Objection For Sinking Of Well

{UIS 14 of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019}

Letter Ref No. 202410000195 **Date** 21/11/2024

To

Shri I Smt. VIJAY CHUDAMAN INGALE

Sub: Rejection of your application for grant of authorization of well.

Ref: Your Application No.: PGRJ1024NIF0020 Submitted on: 06/10/2024

Sir/Madam

This is to inform you regretfully that your Application No. PGRJ1024NIF0020 dated 06/10/2024 submitted for grant of authorization of well has been rejected because of the following reason(s):

(1) Incomplete application

(2) Non-submission of requisite documents

(3) Shortfall in payment of requisite Registration Fees

(4) Incorrect Head of A/C for deposition of Registration Fees

(5) Others:

This certificate is electronically generated and does not require digital signature

कार्यालय जिलाधिकारी प्रयागराज

(जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद जनपद–प्रयागराज)

पत्रांक– 71 /भू0ज0वि0ख0यॉ0/जी0डब्लू0एक्ट–2019/प्रयागराज)/दिनांकः /0 /2025 06/03/25

विषय– अवैध भूजल दोहन के सम्बन्ध में।

प्रबन्धक,

(1) मैसर्स आई0टी0डी0 सीमेंटेशन लिमिटेड, जुडापुर दांदू, विकास खण्ड–सोरॉव, प्रयागराज।

(2) मैसर्स आई0टी0डी0 सीमेंटंशन लिमिटेड, नवॉ तल प्राईमा–वे, टावर–बी, गेट न0–05,साकी बिहार रोड, पवई, मुम्बई, महाराष्ट्र। 400072

–नोटिस –

जैसा की आप विदित हैं कि प्रदेश में भूगर्भ जल के संचयन, संवर्धन एवं विनियमन के उद्देश्य से *'उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम–2019'* लागू किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत भूजल उपयोग किये जाने हेतु समस्त भूजल उपयोक्ताओं यथा–वाणिज्यिक, अवसंरचनात्मक, औद्योगिक, व्यवसायिक, आर0 ओ0 प्लांट और सामूहिक उपयोक्ता (अस्पताल, स्कूल/विद्यालय/कालेज परिसर/हाऊसिंग अपार्टमेन्ट/वाहन धुलाई केन्द्र/गेस्ट हॉउस/होटल एवं रेस्टोरेन्ट, शादी लॉन/वाटर पार्क इत्यादि) द्वारा स्थापित किये जाने वाले नवीन बोरवेल एवं पूर्व स्थापित किये गए बोरवेल/ट्यूबवेल के माध्यम से किये जा रहे भूजल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) एवं कूपों (बोरवेल/ट्यूबवेल) का पंजीकरण कराया जाना व इस क्षेत्र में कार्य करने वाले ड्रिलिंग मशीनों का पंजीकरण सम्बंधित जनपद के 'जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद' के माध्यम से अनिवार्य रूप से कराया जाना है। यदि कोई भी भूजल उपयोगकर्ता बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र/बोरवेल के पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्ति के अनाधिकृत रूप से भूजल का व्यवसायिक दोहन करता है अथवा भूगर्भ जल को दूषित करने अथवा लागू किये गए अधिनियम या इस सम्बन्ध में बनायीं गयी नियमावाली के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है तो उसे अधिनियम के अध्याय–08 की धारा 39(1)–क एवं ख के अनुसार सम्यक रूप से दंडात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये है जो कि रूपये 02 से 05 लाख का जुर्माना अथवा 06 माह से 01 वर्ष का कारावास तक है तथा दोषी पाये जाने पर व्यक्ति/समूह/संस्था के विरुद्ध धारा–39(1)–ग के अधीन अधिनिर्णीत करवास अवधि एवं जुर्माने की धनराशि का दोगुना अधिरोपित करते हुए दण्डित किये जाने के प्रावधान किये गए हैं।

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम–2019 में निहित प्राविधानों एवं नियमों के अलोक में पूर्व में प्रेषित नोटिस सं0–309/भू0ज0वि0ख0यॉ0/जी0 डब्लू0 एक्ट–2019/ दिनांक–27–08–2024 एवं पत्र सं0–341/भू0ज0वि0ख0 यॉ0/जी0 डब्लू0 एक्ट–2019/दिनांक–12–09–2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से आपकी फर्म आई0टी0डी0 सीमेंटेशन लिमिटेड, जुडापुर दांदू, विकास खण्ड–सोरॉव, प्रयागराज को तददिनांक तक सड़क निमार्ण कार्य में अवैध बोरवेल स्थापित करते हुए भूजल का दोहन किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए एवं जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के अनुपालन में जनपद स्तर पर गठित टास्क फोर्स द्वारा दिनांक–22/08/2024 एवं 12/09/2024 को किये गये स्थलीय सत्यापन के क्रम

NOTARY
S. S. Pathak
Reg. No. 1190
Prayagraj
GOVT. OF INDIA

(29)

में बोरवेल की अनापत्ति प्राण पत्र / पंजीकरण पोर्टल (upgwdonline.in) पर प्राप्त कर लिये जाने के सम्बन्ध में उक्त नोटिस दिनांक 27–08–2024 एवं 12–09–2024 प्रेषित किया गया ।

आपकी फर्म द्वारा वर्तमान में भूजल के दोहन के सम्बन्ध में स्थापित किये गए 02 बोरवेल के सापेक्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु 02 आवेदन जिला भूगर्भ जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति हेतु दिनांक 07–10–2024 को निवेश मित्र पोर्टल(upgwdonline.in) पर ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया गया था। उक्त आवेदनों को अभिलेख पूर्ण न होने के कारण जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद द्वारा दिनांक 21–11–2024 को अस्वीकृत कर दिया गया था । जिसके उपरांत आपके द्वारा न ही प्रतिउत्तर जिला परिषद् के सम्मुख प्रेषित किया गया और न ही आप द्वारा किये जा रहे अवैध भूजल के दोहन में किसी भी प्रकार से कमी कि गयी और न ही आप द्वारा पूर्ण अभिलेखों सहित पुनः आवेदन किया गया। आप द्वारा वर्तमान में प्रचलित अधिनियम के प्राविधानों का पूर्णतया उल्लंघन है। आप द्वारा दिनांक 22–01–2024 से वर्तमान तक कुल 18 माह लगातार अवैध एवं अनधिकृत रूप से दोहन किया गया, जिस हेतु आप पूर्णतया दोषी हैं।

अतः उक्त अधिनियम की वर्णित धाराओं एवं नियमों के अलोक में आपके अधिकार क्षेत्र में आने वाली आपके फर्म पर भूजल के अवैध दोहन एवं अधिनियम में वर्णित उपबंधों के उल्लंघन किये जाने के बावत आपको यह नोटिस इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप द्वारा उक्त के कम में अपना प्रतिउत्तर / पक्ष अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख 07 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा की दशा में आपकी फर्म एवं आपके ऊपर उक्त के अधिनियम की धाराओं एवं नियमों के उल्लंघन के फलस्वरूप अधिनियम के अध्याय–08 की धारा 39(1), क एवं ख के अनुसार सम्यक रूप से दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत कर दिये जायेंगे। जिसका उत्तरदायित्व आप स्वयं का होगा।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
जनपद–प्रयागराज।

पत्रांक– 71 / भू0ज0वि0ख0यॉ0 / जी0डब्लू0एक्ट–2019 / प्रयागराज) / तादिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित हैः–
1– मुख्य विकास अधिकारी / सदस्य सचिव, महोदय, जनपद–प्रयागराज।
2–सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण, लखनऊ / निदेशक, भूगर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश, भूजल भवन, हरिहरपुर, निकल शहीद पथ, लखनऊ उ0प्र0।

जिलाधिकारी,
जनपद–प्रयागराज।

NOTARY
G. S. Pathak
Reg No.-4190
Prayagraj
GOVT. OF INDIA

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, जनपद–प्रयागराज़
(कार्यालय जिलाधिकारी प्रयागराज)

संलग्नक-13
(30)

पत्रांक– 78 /भू0ज0वि0ख0यॉ0/जी0डब्लू0एक्ट–2019/प्रयागराज)/दिनांकः 28/08/2025

–आदेश –

प्रबन्धक,

1–मैसर्स आई0टी0डी0 सीमेंटेशन लिमिटेड, जुडापुर दांदू, विकास खण्ड–सोरॉव, प्रयागराज।

2–मैसर्स आई0टी0डी0 सीमेंटेशन लिमिटेड, नवॉ तल प्राईमा–वे, टावर–बी, गेट न0–05, साकी बिहार रोड, पवई मुम्बई महाराष्ट्र । 400072

प्रदेश में भूगर्भ जल के संचयन, संवर्धन एवं विनियमन के उद्देश्य से *'उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम–2019'* लागू किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत भूजल उपयोग किये जाने हेतु समस्त भूजल उपयोक्ताओं यथा–वाणिज्यिक, अवसंरचनात्मक, औद्योगिक, व्यवसायिक, आर0 ओ0 प्लांट और सामूहिक उपयोक्ता (अस्पताल, स्कूल/विद्यालय/कालेज परिसर/हाऊसिंग अपार्टमेन्ट/वाहन धुलाई केन्द्र/गेस्ट हॉउस/होटल एवं रेस्टोरेन्ट, शादी लॉन/वाटर पार्क इत्यादि) द्वारा स्थापित किये जाने वाले नवीन बोरवेल एवं पूर्व स्थापित किये गए बोरवेल/ट्यूबवेल के माध्यम से किये जा रहे भूजल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) एवं कूपों (बोरवेल/ट्यूबवेल) का पंजीकरण कराया जाना व इस क्षेत्र में कार्य करने वाले ड्रिलिंग मशीनों का पंजीकरण सम्बंधित जनपद के 'जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद' के माध्यम से अनिवार्य रूप से कराया जाना है। यदि कोई भी भूजल उपयोगकर्ता बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र/ बोरवेल के पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्ति के अनाधिकृत रूप से भूजल का व्यवसायिक दोहन करता है अथवा भूगर्भ जल को दूषित करने अथवा लागू किये गए अधिनियम या इस समबन्ध में बनायीं गयी नियमावाली के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है तो उसे अधिनियम के अध्याय–08 की धारा 39(1)–क एवं ख के अनुसार सम्यक रूप से दंडात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये है जो कि रूपये 02 से 05 लाख का जुर्माना अथवा 06 माह से 01 वर्ष तक कारावास का प्राविधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम–2019 में निहित प्राविधानों एवं नियमों के आलोक में पूर्व में प्रेषित नोटिस पत्र सं0–309/भू0ज0वि0ख0यॉ0/जी0डब्लू0एक्ट–2019/दिनांक–27–08–2024 एवं पत्र सं0–341/भू0ज0वि0ख0 यॉ0/जी0डब्लू0एक्ट–2019/दिनांक–12–09–2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से आपकी फर्म **मैसर्स आई0टी0डी0 सीमेंटेशन लिमिटेड, जुडापुर दांदू, विकास खण्ड–सोरॉव, प्रयागराज** को तददिनांक तक सड़क निमार्ण कार्य में अवैध बोरवेल स्थापित करते हुए भूजल का दोहन किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए एवं जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के अनुपालन में जनपद स्तर पर नामित नोडल अधिकारी/टास्क फोर्स स्तर से किये गए स्थलीय सत्यापन दिनांक– 22.08.2024 को 01 बोरवेल एवं दिनांक 12.09.2024 को किये गये स्थलीय सत्यापन में 02 बोरवेल अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करते पाये गये । आपकी फर्म द्वारा जनपद में कराये जा रहे सड़क निमार्ण कार्यों हेतु कुल 02 बोरवेल बिना अनापत्ति प्राप्ति के ही स्थापित किये गये थे, जिसके क्रम में उपरोक्त प्रेषित दोनों नोटिसों के उपरांत आपके द्वारा दिनांक 07.10.2024 को अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन (upgwdonline.in) माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया गया। आपकी फर्म द्वारा 02 बोरवेल के सापेक्ष किये गये आवेदनो को जिला भुगर्भ जल प्रबंधन समिति द्वारा अभिलेख पूर्ण न पाये जाने की दशा में अस्वीकृत करने की कार्यवाही दिनांक 21.11.2024 को पूर्ण कर ली गयी। परन्तु आप द्वारा स्थलीय सत्यापन उपरांत प्रेषित

NOTARY G. S. Pathak Reg. No.-4190 Prayagraj GOVT. OF INDIA

(31)

प्रथम नोटिस के प्रतिउत्तर में न तो अपना प्रतिउत्तर जिला परिषद् के सम्मुख प्रेषित किया गया न ही आप द्वारा किये जा रहे अवैध भूजल के दोहन में किसी भी प्रकार से कमी कि गयी अथवा बोरवेल बंद किया गया जिस पर आपको पुनः द्वितीय नोटिस तामील की गयी। आप द्वारा वर्तमान में प्रचलित अधिनियम के प्राविधानों का पूर्णतया उल्लंघन है एवं आप द्वारा दिनांक 22.01.2024 से दिनांक 19.08.2025 तक कुल 18 माह से अधिक तक बिना अनापत्ति प्राप्त किये ही लगातार भूजल का अवैध एवं अनधिकृत रूप से दोहन किया गया जिस हेतु आप पूर्णतया दोषी हैं।

अवगत कराना है कि फर्म को दिनांक 06.08.2025 को तृतीय नोटिस इस आशय से प्रेषित की गयी थी कि 18 माह तक किये गये लगातार अवैध एवं अनाधिकृत भूजल दोहन पर अपना पक्ष/प्रतिउत्तर 07 दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिसके कम में आपकी फर्म द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्रषित नहीं किया गया है। भूगर्भ जल का अवैध दोहन किये जाने का आपकी फर्म के विरूद्व अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के पर्याप्त कारण उपलब्ध है।

अतः उक्त अधिनियम की वर्णित धाराओं एवं नियमों के आलोक में आपके अधिकार क्षेत्र में आने वाली आपके फर्म पर भूजल के अवैध दोहन एवं अधिनियम में वर्णित उपबंधों के उल्लंघन किये जाने के बावत अधिनियम के अध्याय–8 की धारा 39(1)–क एवं ख के अनुसार सम्यक रूप से दंडात्मक कार्यवाही किये जाने के पर्याप्त आधार होने के कारण आपकी फर्म मैसर्स आई0टी0डी0 सीमेंटेशन लिमिटेड, जुडापुर दांदू, विकास खण्ड–सोरॉव, प्रयागराज पर दंडस्वरूप रूपये–4,00,000/– (रू0 चार लाख मात्र) बतौर जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अधिरोपित की गयी जुर्माने की राशि को भूगर्भ जल निधि के लेखा शीर्षक 8235002000400 में 07 दिवस के भीतर जमा करते हुए रसीद/पावती की प्रति साक्ष्य के रूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने के साथ ही नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रवंधन परिषद् को भी प्रति उपलब्ध कराते हुए सूचित करें साथ ही साथ उक्त 02 बोरवेल अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की तिथि तक तुरंत प्रभाव से अधिनियम के अध्याय–10 की धारा 46(1) के अन्तर्गत स्वयं कूप बंद करना सुनिश्चित करें अन्यथा धारा 46(2) के अन्तर्गत जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद आपके कार्यस्थल पर प्रवेश कर उक्त दोनों कूप को बंद/मोहरबंद करेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिमेदारी आपकी होगी।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला भूगर्भ जल प्रवन्धन परिषद
जनपद–प्रयागराज।

पत्रांक– 78 /भू0ज0वि0ख0यॉ0/जी0डब्लू0एक्ट–2019/प्रयागराज)/तादिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित है:–

1– मुख्य विकास अधिकारी/ सदस्य सचिव, महोदय, जनपद–प्रयागराज
2– डी0जी0एम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 18सी/28ए, सरोजनी नायडू मार्ग निकट,ए0जी0 आफिस, सिविल लाइंस, प्रयागराज।
3– अपर जिलाधिकारी, (वित्त एवं राजस्व) प्रयागराज।
4– सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण, लखनऊ/ निदेशक, भूगर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश, भूजल भवन, हरिहरपुर, निकल शहीद पथ, लखनऊ उ0प्र0।
5– समस्त सदस्य टास्क फोर्स, जिला भूगर्भ जल प्रवन्धन परिषद, प्रयागराज।

जिलाधिकारी,
जनपद–प्रयागराज।

NOTARY
G. S. Pathak
Reg. No. 190
Prayagraj
GOVT. OF INDIA

संलग्नक – 14
(39)

NOTARY
G. S. Pathak
Reg. No. 4?90
Prayagraj
GOVT. OF INDIA

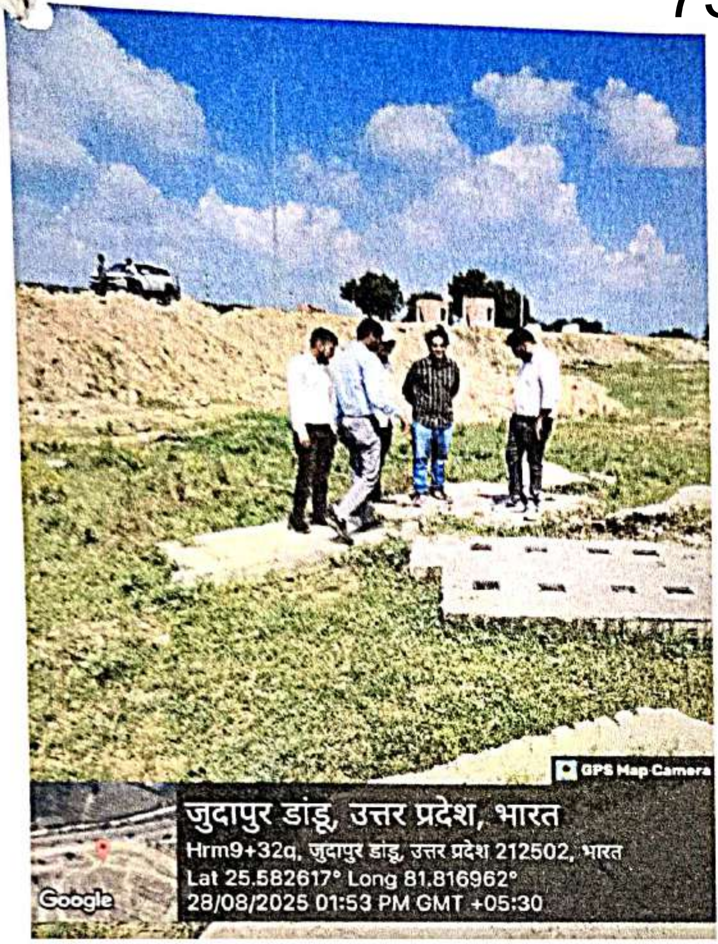

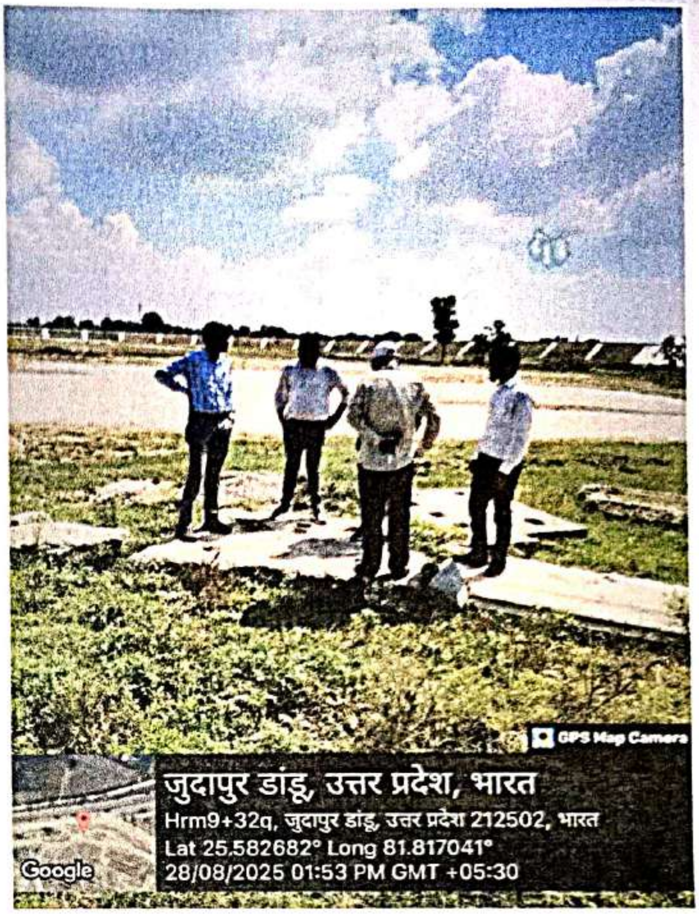

NOTARY
G. S. Pathak
Reg. No.-4190
Prayagraj
GOVT. OF INDIA

संलग्नक – 15

(34)

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद द्वारा दिये गये निर्देश के कम में टास्क फोर्स द्वारा दिनांक 28–08–2025 को किये गये स्थल सत्यापन/बोरवेल सील किये जाने के सम्बन्ध में आख्या :–

उपरोक्त विषयक मुख्य विकारा अधिकारी, प्रयागराज के पत्र सं0–05/भू0ज0वि0ख0यॉ0/अधिनियम–2019, दिनांक 05–04–2021 द्वारा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम–2019 के अन्तर्गत विकसित वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण/शिकायत के निस्तारण हेतु आवश्यक्तानुसार स्थलीय सत्यापन हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसमें निम्न सदस्य नामित हैः–

1– नोडल अधिकारी, भूगर्भ जल विभाग, प्रयागराज।	सदस्य
2– अधिशासी अभियन्ता, (ग्रामीण)उ0 प्र0 जल निगम, प्रयागराज ।	सदस्य
3– उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, प्रयागराज ।	सदस्य
4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।	सदस्य
5– सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, प्रयागराज।	सदस्य

उक्त टास्क फोर्स द्वारा जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, प्रयागराज द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 20–08–2025 जिसके द्वारा मैसर्स **आई0टी0डी0 सीमेंटेशन लिमिटेड**, द्वारा जुड़ापुर दॉदू, प्रयागराज में सड़क निमार्ण कार्य हेतु अवैध भूजल दोहन करने एवं बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये ही निमार्ण कार्य कराये जाने का दोषी पाये जाने पर बोरवेल सील करने एवं बतौर जुर्माना 400000–00 भूगर्भ जल निधि में जमा कराने के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु टास्क फोर्स द्वारा दिनांक 28–08–2025 को टास्क फोर्स द्वारा की गयी कृत कार्यवाही सम्वन्धी आख्या निम्नानुसार हैः–

01– यह कि मैसर्स **आई0टी0डी0 सीमेंटेशन लिमिटेड**, द्वारा जुड़ापुर दॉदू, प्रयागराज में 02 स्थानों पर बोरवेल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल का निष्कर्षण कर सड़क निमार्ण कार्य कराया गया है।

02– यह कि टास्क फोर्स को दिनांक 28–08–2025 को कार्य स्थल पर फर्म का पूर्व स्थापित कार्यालय एवं कार्मिक मौजूद नहीं पाया गया । फर्म द्वारा कराये गये कार्यो के अवशेष कार्यस्थल पर इधर–उधर पड़े मिले (फोटे सलग्न)। प्रथम स्थल पर बोरवेल अप्राप्त था।

3– यह कि टास्क फोर्स द्वारा द्वितीय बोरवेल के कार्यस्थल पर भी पूर्व स्थापित कार्यालय एवं कर्मचारी नहीं मिला। कार्यस्थल पर मौजूद बोरवेल को टास्क फोर्स के अधिकारियों द्वारा सील/मुहरबंद किया गया जिसकी फोटा प्रति संज्ञान हेतु संलग्न है।

28/08/25
Ravi Shanker Patel
Hydrologist
Groundwater Department
Div.-Mechanical
... Road, Prayagraj

28.8.25 28/08/25 28.08.025 AEM-I

NOTARY
G.S. Pathak
Reg. No.-4190
Prayagraj
GOVT. OF INDIA

O/C

Cem **ITD Cementation India Limited**

(35)

संलग्नक-16

Date 3/9/2025

Commitment Reliability & Quality

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी / अध्यक्ष

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद

जनपद- प्रयागराज।

विषय- अवैध भू-जल दोहन के सम्बन्ध मे।

संदर्भ- (1) ITD Cementation India Limited द्वारा दिनांक 12/08/2025 को दिया गया पत्र **(छायाप्रति संलग्न)**

(2) आपका कार्यालय पत्रांक 71/भू0ज0वि0ख0यॉ0/जी0डब्लू0एक्ट-2019/प्रयागराज/दिनांक 06/08/2025

(3) आपका कार्यालय पत्रांक 78/भू0ज0वि0ख0यॉ0/जी0डब्लू0एक्ट-2019/प्रयागराज/दिनांक 20/08/2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। आप द्वारा प्रेषित संदर्भित पत्र संख्या-02 के क्रम में ITD Cementation India Limited के प्रतिनिधि श्री अनिल पुनिया द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर संदर्भित पत्र संख्या-1 के माध्यम से अवैध भू-जल दोहन के सम्बन्ध में आख्या प्रेषित की **(प्रेषित पत्र की छायाप्रति संलग्न)**। संदर्भित पत्र संख्या-01 के माध्यम से प्रेषित पत्र में अवगत कराया गया कि ग्राम- जुडापुर दांदू में कृषको के बोरवेल कार्यदायी संस्था के कार्य प्रारम्भ करने के पहले से ही लगे हुए थे एवं हमारी संस्था द्वारा किसी भी बोरवेल को अवैध रूप से कार्यस्थल पर नहीं लगाया गया है। साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि कम्पनी द्वारा अपने सभी Sub Contractor को यह निर्देश निर्गत किये गये है कि किसी भी अवैध बोरवेल के पानी का प्रयोग गंगा एक्सप्रेसवे कार्यो मे न किया जाए। परन्तु तहसील- सोरांव के ग्राम- जूडापुर दांदू मे एक्सप्रेसवे के Right Of Way के अन्दर लगे हुए बोरवेल से कार्यदायी संस्था के Sub Contractor के श्रमिकों द्वारा दैनिक उपयोग के लिए किसानों की अनुमति से पानी लिया गया। उक्त बोरवेल का विद्युत कनेक्शन भी किसानों के नाम पर है। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्यदायी संस्था द्वारा ससमय जिला परिषद के समक्ष अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि संदर्भित पत्र 3 के अनुसार फर्म पर लगाये गए अर्थदण्ड 4,00,000 (चार लाख रूपये) को भी कार्यदायी संस्था द्वारा ससमय दिनांक 01/09/2025 को कोषागार में जमा करा दिया गया है **(धनराशि जमा करने का चालान संलग्न)**। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त दोनो बोरवेल पूर्व में ही बन्द किये जा चुके है।

अतः श्रीमान आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित विभाग को उक्त प्रकरण निस्तारित करने के लिए निर्देशित करने की कृपा करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

NOTARY G. S. Pathak Reg. No.-4190 Prayagraj GOVT. OF INDIA

For ITD Cementation India Limited

Authorized Signatory

प्रतिलिपिः- 1. जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद जनपद प्रयागराज

2) अधिशासी अभियन्ता, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना, यूपीडा, प्रयागराज।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -6 भाग - 2

प्रपत्र संख्या 43ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

(36)

उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा : S.B.I. Main Branch. Prayagraj.

जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम व पता : ITD Cementation India Ltd. G.Expressway, RajapKarapa Kunda

पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो) : Reg. District Ground water Management council, Prayagraj

जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) : order. No. 78, dated 20/8/25

चालान की सकल राशि : 4,00,000/-

चालान की निबल राशि : 4,00000/-

लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/ लेखा शीर्षक की मुहर : 8235002000400

लेखा शीर्षक का -13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक	उप लेखा-शीर्षक	लघु-शीर्षक	उप-शीर्षक	ब्योरेवार-शीर्षक	धनराशि अंको में
8235	00	200	04	00	4,00000/-

राशि (शब्दो मे) Four Lakh only योग-

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
प्रयागराज

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार / बैंक के प्रयोगार्थ

क्रम संख्या : P 154027

दिनाँक :

अंकों में रु0

शब्दो में रु0

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता व हस्ताक्षर उपकोषागार/
बैंक की मुहर सहित

NOTARY S. Pathak Reg. No. 4190 Prayagraj GOVT. OF INDIA

01 SEP 2025

₹400000/-

VAKALATNAMA
BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT DELHI
OA- 1059/2024

IN THE MATTER OF:
BHARTIYA KISAN UNION (PURWA) APPLICANT

VERSUS

GROUND WATER DIRECTORATES UP & ORS. RESPONDENT(S)

Know all to whom these present shall come that I the undersigned Manish Kumar Verma , aged 41.. years S/O M. P. Verma working as District Megistrate Prayagraj, Chairman, District Ground Water Management Council, Prayagraj- 211004. The above named do hereby appoint (herein after called the advocate/s) to be my/our Advocate in the above noted case authorized him:-
To act, appear and plead in the above - noted case in this Tribunal in which the same may be tried or heard subject to payment of fees by State of UP to sign, file verify and present pleadings, appeals cross objections or petition for execution review, revision, withdrawal compromise or other applications/ petitions or affidavits or other Document as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages. To file and take back to documents to admit and/or deny the documents of opposite party. To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case. To take execution proceedings. The deposit, draw and receive money and checks towards compensation, grant receipts thereof and to do all other lawfull acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said cases. And I/We the undersigned do hereby agree to retify and confirm all lawful acts done by the Advocate or his substitute authorized by Tribunal in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intense and purposes. and I/We undertake that I/We or my/our daily authorized agent would appear in the court on all hearings and will inform the advocates for appearance when the case is called. The adjournment costs whenever ordred by the court shall be of the Advocate which he Shall receive and retain himself.

And I/ We the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agree by me/us to be paid in term of M/O law and Justice OMs/orders/guidelines, to the advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settled is only for the above case and above Tribunal. I/ We hereby agree that once the fee is paid. I/We will not be entitled for the refund of the same unless it is erroneously setteled and if the case prolongs for more than three years the fee shall be regulated in accordance with the guidelines of M/O law and Justice issued for time to time.

In witness whereof I/We do here and to set my our hand to these presents the contents of which have been understood by me/us on this 2nd day of September 2025

Accepted subject to the terms of fees prescribed M/O Law & Justice for cases in NGT.

Gig.C. George
Central Government Standing Counsel
NGT (PB) New Delhi
Chamber No. 336, Lawyer Block, Saket District Court
Mobile No. 9810625315
Email: gigicgeorge.adv42@yahoo.in

CLIENT
(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी, प्रयागराज